IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन की प्रवृत्तियों पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभाव

डॉ. जे. बी. पाल[1] जयेश कुमार[2]

प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,[1]शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग,[2]

लाल बहादुर शास्त्री पी.जी., कॉलेज, गोंडा, उ.प्र.।[1]
डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उ.प्र.[2]

सार

उत्तर प्रदेश भारत के विकासशील राज्यों में से एक हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य हैं। यहाँ की 77.7 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है।[1] इस राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग कम कुशल एवं अप्रशिक्षित होने के कारण वह शारीरिक कार्य करने में ही सक्षम है। यही कारण है कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। आज के बदलते परिवेश में शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही हैं किन्तु फिर भी गाँवों में रहने वाली महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नही हैं क्योंकि उनके लिए भी रोजगार के अवसर की कमी हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारे देश मे वर्ष 2019 में कोविड–19 महामारी का दौर आया तो उत्तर प्रदेश समेत समूचा भारत उसकी चपेट में आ गया और हमारे देश मे चारों तरफ भय का वातावरण दिखाई देने लगा। महामारी की इस भयावह स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी लाकडाउन का दिशा–निर्देश जारी किया गया जिसके परिणामस्वरुप हमारे देश में औद्योगिक गतिविधियाँ ठप्प हो गयी। इसी कारण हमारे देश के बड़े–बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों से लाखों लोगो को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और मजबूर होकर लोगों को शहरी क्षेत्रों से अपने मूल गाँव की ओर पलायन करना पड़ा। इस प्रकार इतने बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन के कारण हमारे देश के श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन मनरेगा एवं कृषि क्षेत्र पर रह गयी। इस प्रकार जहाँ कृषि क्षेत्र ने फसलों की बुवाई एवं कटाई के साथ उसकी अन्य गतिविधियों ने रोजगार दिया। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा लॉकडाउन के संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने की अनुमति 20 अप्रैल 2020 को प्रदान की गयी। काम शुरू होने के बाद एक महीने में काम पाने वाले परिवारों की संख्या पिछले कई वर्षों में सबसे कम लगभग 95 लाख थीं परन्तु यह संख्या मई में बढ़कर 3.05 करोड़ से अधिक हो गई। इस प्रकार मनरेगा योजना उत्तर प्रदेश समेत सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लाखों प्रवासियों और कामगारों के लिए वरदान सिद्ध हुई। प्रस्तुत रिसर्च पेपर में इस बात का अध्ययन किया गया है कि पिछले पांच वर्षो (2017–18 से 2022–23) में मनरेगा योजना ग्रामीण कामगारों के लिए कितना प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं।

परिचय (Introduction)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 में हुई।[2] प्रथम चरण में यह योजना भारत के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में लागू की गई। इसके बाद दूसरे चरण में वित्तीय वर्ष 2007–08 में इसे 130 अन्य जिलों में लागू किया गया। इस प्रकार यह भारत के 330 जिलों तक विस्तृत हो गया। तीसरे चरण में 01 अप्रैल 2008 को शेष बचे हुए जिलों के लिए अधिसूचना जारी की गई, जिसके अंतर्गत मनरेगा योजना भारत के सभी ग्रमीण गाँवों में लागू हो गयी। इसमें केवल वही जिले शामिल नहीं हैं जिनकी शत–प्रतिशत आबादी शहरी हैं। इस योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी की 140वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने महात्मा गांधी के नाम से जोड़ते हुए इसका नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया।[3] अभी तक भारत के इतिहास में मजदूरी एवं रोजगार से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चलाएं गए हैं उसमें मनरेगा सबसे अलग है क्योंकि इस कार्यक्रम में मजदूरी की गारंटी एवं संपत्ति सृजन का दृष्टिकोण समाहित है जो इसे और अधिक पारदर्शी एवं हितधारकों के प्रति जबाबदेह बनाता हैं।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएं (Salient Features of Mnrega)

मनरेगा की मुख्य विशेषताओं को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया हैं।[4]

(a) मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम

मनरेगा मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के एक परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो शारीरिक श्रम करने का इच्छुक है, काम करने के लिए आवेदन कर सकता है और आवेदन के 15 दिन के भीतर उसे रोजगार उपलब्ध करा दिया जाता है। यदि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। जिसके भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती हैं। महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया है जिसका निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर होता है।

(b) विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित योजना

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को काम पाने के लिए ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रूप में पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद ग्राम पंचायत आवेदन का सत्यापन करती है फिर उसे जाब कार्ड प्रदान किया जाता है। जॉब कार्ड मिलने के बाद लिखित आवेदन के द्वारा ग्राम पंचायत से रोजगार की मांग की जाती है। यह रोजगार उन्हें अपने गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाता है। यदि कार्यस्थल 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो उन्हें 10% अतिरिक्त भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

(c) महिलाओं की भागीदारी

महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कुल जितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है उसका एक तिहाई भाग महिलाएं होनी चाहिए।

(d) कार्यों की श्रेणियां

इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की स्वीकृति श्रेणियां हैं– जैसे सूखे की रोकथाम के लिए वनारोपण एवं वृक्षारोपण का कार्य, जल संरक्षण और जल शस्य संचयन, बाढ़ नियंत्रण, मेड़बंदी, टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन, मृदा संरक्षण, भूमि विकास, लघु सिंचाई, बागवानी, सड़क संपर्क मार्ग, तालाब एवं नहरों का जीर्णोधार आदि। इस योजना की एक मुख्य बात यह भी है कि योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन पर मनरेग्स का प्रभाव

मनरेगा किसी भी ग्रामीण परिवार के जिसका एक वयस्क सदस्य जो शारीरिक कार्य करने में इच्छुक हैं उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।[5] यह मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है जो गरीबी उन्मूलन के लिए मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। यह सूखा, बाढ़ एवं आपदाओं के समय भी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि आर्थिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो और हमारा देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के ठप्प होने के कारण लगभग 20 से 30 मिलियन प्रवासी श्रमिक शहरी क्षेत्र से अपने मूल गाँव की ओर लौट आए। इसमें से कुछ ने अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए कृषि क्षेत्र की गतिविधियों में अपने को शामिल किया और कुछ अपने परिवार की जीविका के लिए मनरेगा कार्यों की मांग की और कुछ बेरोजगारी के शिकार बने रहे। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में जब इतने बड़े पैमाने पर नौकरी समाप्त होने से लोगों का शहरी क्षेत्रों से गाँव की ओर रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो सरकार को नौकरियों के नुकसान एवं रोजगार की मांग में वृद्धि की आशंका हुई। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 20 अप्रैल 2020 को मनरेगा के अंतर्गत काम शुरू करने की घोषणा की। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों को मनरेगा के अंतर्गत जाब कार्ड जारी किया गया। इस प्रकार मनरेगा अधिकांश ग्रामीण मजदूरों के लिए मददगार साबित हुई। उत्तर प्रदेश में कोविड–19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन की प्रवृत्तियों पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभाव को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत लाइन ग्राफ एवं बार ग्राफ के द्वारा विश्लेषण किया गया हैं।

(a) उत्तर प्रदेश में 100 दिन का मजदूरी रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का विवरण

(b) उत्तर प्रदेश मनरेगा योजना में काम करने वाले व्यक्तियों का विवरण

(c) कुल व्यक्ति दिवसों में महिला दिवसों की संख्या (प्रतिशत में)

(d) आवंटित की गयी मजदूरी राशि का विवरण

(चित्र : 1)

Source : nrega.nic.in

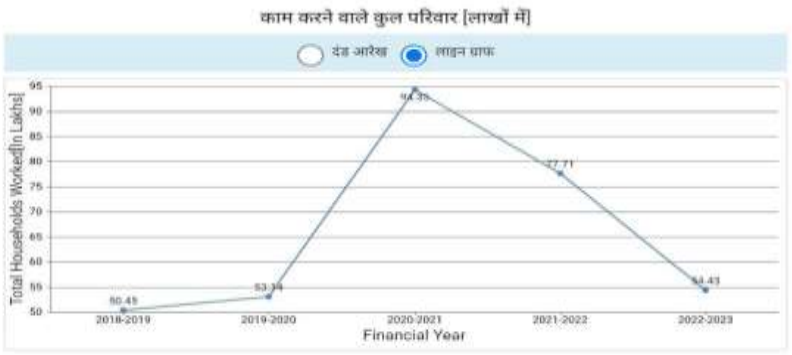

(चित्र : 2)

Source : nrega.nic.in

(चित्र : 3)

Source : nrega.nic.in

(चित्र : 4)

Source : nrega.nic.in

(a) उत्तर प्रदेश में 100 दिन का मजदूरी रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का विवरण :

चित्र 1 में लाइन ग्राफ द्वारा पिछले 5 वर्षों में 100 दिन का मजदूरी रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है।[6] लाइन ग्राफ यह प्रदर्शित कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में 100 दिन का मजदूरी रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या 71,992 थी जो वित्तीय वर्ष 2019–20 में बढ़कर 1,33,059 हो गई। इस प्रकार वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में 61,067 अधिक परिवारों ने 100 दिन का मजदूरी रोजगार को पूरा किया। वर्ष 2019–20 में जब भारत में कोविड–19 महामारी का दौर आता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण भारत में दिखाई देने लगा किंतु जब वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी चरम स्थिति में पहुंचती है तो संपूर्ण भारत में औद्योगिक गतिविधियां ठप्प हो गयी। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की स्थिति पैदा हो जाने के कारण बड़े शहरों से लोगों का रोजगार समाप्त हो गया जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर लोग अपने मूल गाँव की ओर पलायन करने लगे। जिसमें उत्तर प्रदेश में भी भारत के विभिन्न बड़े शहरों से लोग अपने गाँव में आने लगे। ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर रोजगार मांग का दबाव बढ़ गया। जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा संशोधित दिशा निर्देशों के तहत 20 अप्रैल 2020 में मनरेगा योजना में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी। इस प्रकार वर्ष 2020–21 में 7,77,946 लोगों को इस योजना में रोजगार प्राप्त होता है जो पिछले वर्ष की तुलना में 6,44,887 अधिक रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 2021–22 में उत्तर प्रदेश समेत संपूर्ण भारत में कोविड–19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की गयी और बड़े पैमाने पर लोग महानगरों की ओर अपनी आजीविका के लिए पुनः प्रस्थान किये जिसके परिणामस्वरूप मनरेगा पर निर्भरता में कमी आयी। इस प्रकार वर्ष 2021–22 में मनरेगा के अंतर्गत काम करने वालों मजदूरों की संख्या घटकर 5,86,118 हो गयी और वर्ष 2022–23 में भी घटने की प्रवृत्ति जारी है। उपर्युक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती हैं कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार वर्ष 2020–21 में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार मनरेगा योजना कोविड–19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने में मददगार सिद्ध हुई हैं।

(b) उत्तर प्रदेश मनरेगा योजना में काम करने वाले परिवारों का विवरण :

चित्र 2 में दिया गया लाइन ग्राफ पिछले पांच वर्षों में मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले परिवारों को दर्शाया गया है।[7] लाइन ग्राफ से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018–19 में 50.45 लाख, 2019–20 में 53.14 लाख, 2020–21 में 94.35 लाख, 2021–22 में 77.71 लाख परिवारों ने मनरेगा के अंतर्गत काम किया। लाइन ग्राफ में यह प्रदर्शित किया गया है कि कोविड–19 महामारी के दौर में मनरेगा के अन्तर्गत काम करने वाले परिवारों की संख्या वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में 41.21 लाख अधिक परिवारों को रोजगार मिला है जो विगत पांच वर्षों में सर्वाधिक है किन्तु वर्ष 2021–22 के बाद के वर्षों में इसमें कमी देखी गई। जिसका प्रमुख कारण यह है कि बड़े शहरों में कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखकर पुनः औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हो गयी।

(c) कुल व्यक्ति दिवसों में महिला दिवसों की संख्या (प्रतिशत में) :

चित्र 3 में दिया गया बार ग्राफ विगत पाँच वर्षों में प्रति वर्ष कुल दिवसों में से महिला दिवसों को प्रतिशत में दिखाया गया है।[8] बार ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि कुल दिवसों में से महिला दिवसों का प्रतिशत वर्ष 2018–19 में 35.28%, वर्ष 2019–20 में 34.28%, 2020–21 में 33.59%, 2021–22 में 37.2% है और वर्ष 2022–23 में भी बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती हैं। बार ग्राफ से यह स्पष्ट है कि कोविड–19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020–21 में कुल व्यक्ति दिवसों में महिला दिवसों का प्रतिशत सबसे कम था क्योंकि इस दौरान बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों से अपने गाँव में वापस आये पुरुषों ने मनरेगा योजना

के तहत रोजगार की मांग की और उन्हें रोजगार मिला। वर्ष 2021–22 से महिलाओं की भागीदारी का ग्राफ मनरेगा में पुनः बहुत तेजी से बढ़ा है और आगे भी निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति जारी है क्योकि शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के पुनः प्रारंभ होने से बड़े पैमाने पर गाँव में शहरी क्षेत्रो से आये हुए लोग अपने परिवार की आजीविका के लिए शाहरों में जाना प्रारंभ कर दिया।

(d) आवंटित की गयी मजदूरी राशि का विवरण

चित्र 4 में दिया गया बार ग्राफ उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में मनरेगा मजदूरों को वितरित की गई मजदूरी धनराशि की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया गया हैं।[9] बार ग्राफ में यह स्पष्ट है कि मजदूरों को वर्ष 2018–19 में 3,77,678.17 लाख, वर्ष 2019–20 में 4,51,514.48 लाख, वर्ष 2020–21 में 7,85,539.11 लाख तथा 2021–22 में 6,57,569.68 लाख मजदूरी राशि वितरित की गयी। बार ग्राफ यह भी प्रदर्शित कर रहा है कि कोविड–19 महामारी के समय उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत वितरित की गयी मजदूरी धनराशि वर्ष 2018–19 की तुलना में 2019–20 में 73,836.31 लाख, 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में 3,34,024.63 लाख अधिक वितरित की गयी किन्तु जब औद्योगिक गतिविधियाँ पुनः संचालित हुई और रिवर्स हुए ग्रामीण मजदूर पुनः शहरों के ओर प्रस्थान करने लगे तो उस समय मनरेगा योजना में कार्य करने वाले लोगों की कमी होने से मजदूरी राशि के वितरण में कमी दिखाई देती है। यह कमी वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में 1,27,969.43 लाख रूपये थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड–19 महामारी जैसी विकट परिस्थितियों में मनरेगा योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर ग्रामीण मजदूरों को रोजगार प्रदान करके उनके जीवन यापन को आसान बनाया।

निष्कर्ष

मनरेगा योजना भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलाई गई। इस योजना ने अपने अधिकतम उद्देश्यों को पूरा किया हैं। कोविड–19 महामारी के दौरान रिवर्स माइग्रेशन के कारण शहरी क्षेत्रों से अपने मूल गाँव में वापस आए मजदूरों को रोजगार देकर मनरेगा ने उनको अपने परिवार के भरण–पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। उपरोक्त दिए गए आँकड़े जो लाइन ग्राफ एवं बार ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किये गये है वे पूरी तरह स्पष्ट करते है कि उत्तर प्रदेश में सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा कोविड–19 महामारी के दौरान काम करने वाले मजदूरों की संख्या में अधिक वृद्धि के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या को मनरेगा के माध्यम से दूर करने में सफल हुई हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. लाल, प्रोफेसर एस.एन., भारतीय अर्थव्यवस्था, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, संस्करण 2019, पृष्ठ संख्या–1:73
2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, दिशा–निर्देश 2013, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई, दिल्ली, पृष्ठ–3
3. पुरी, वी.के. एवं मिश्र, एस.के., भारतीय अर्थव्यवस्था, उन्तीसवाँ संस्करण, पृष्ठ संख्या–144
4. Mgnrega sameeksha 2006-2012, Ministry of Rural Development, Govt. of India, Page No - 2
5. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, दिशा–निर्देश 2013, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ–3

6. www.nrega.nic.in
7. www.nrega.nic.in
8. www.nrega.nic.in
9. www.nrega.nic.in